"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2004—आश्विन 23, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 2-27/2004/1-8.—श्री टी. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, मुख्य सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक 5222/डी-2026/21-ब/छ.ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2024/664/21-ब/छ.ग., दिनांक 18-3-2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली, विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा.

| क्रमांक (1) | राजस्व जिले का नाम (2) |
| --- | --- |
| 1. | रायपुर |
| 2. | दुर्ग |
| 3. | राजनांदगांव |
| 4. | बिलासपुर |
| 5. | अंबिकापुर (सरगुजा) |
| 6. | बस्तर (जगदलपुर) |
| 7. | कांकेर |
| 8. | दंतेवाड़ा |
| 9. | कवर्धा |
| 10. | महासमुन्द |
| 11. | कोरबा |
| 12. | कोरिया |
| 13. | धमतरी |
| 14. | जांजगीर |
| 15. | रायगढ़ |
| 16. | जशपुर |

Raipur, the 28th August 2004

No. 5222/D-2026/21-B-CG/04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this Department Notification No. 2024/D-1664/21-B/C.G. dated 18-3-2002, the State Government hereby appoints Shri Ashok Kumar Goyal, Additional District and Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regards to the offences specified in column (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation.

| S. No. (1) | Name of Revenue District (2) |
| --- | --- |
| 1. | Raipur |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 2. | Durg |
| 3. | Rajnandgaon |
| 4. | Bilaspur |
| 5. | Ambikapur (Sarguja) |
| 6. | Bastar (Jagdalpur) |
| 7. | Kanker |
| 8. | Dantewada |
| 9. | Kawardha |
| 10. | Mahasamund |
| 11. | Korba |
| 12. | Koria |
| 13. | Dhamtari |
| 14. | Janjgir |
| 15. | Raigarh |
| 16. | Jashpur |

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्रमांक 5753/21-ब/छ.ग./2004.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 342/दो-2-1/2004/गोपनीय/2004, दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में सारणी में उल्लेखित निम्न न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय, छ. ग. बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है.

| क्रमांक (1) | न्यायिक अधिकारी का नाम (2) | वर्तमान पद (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्री जी. सी. बाजपेयी | प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर. |
| 2. | श्री राधेश्याम शर्मा | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, दुर्ग, छ. ग. |
| 3. | श्री आलोक झा | संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर |
| 4. | श्री बुद्धराम निकुंज | अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर. |

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

क्रमांक 6014/डी-2395/21-ब.छ. ग./04.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4494/डी-1731/21-ब.छ. ग./04, दिनांक 24-7-2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित जिले पर कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

| अनुक्रमांक (1) | विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2) | पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3) | जिले का नाम (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री डी. के. भट्ट विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति | श्री बी. आर. निकुन्ज विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | दुर्ग |

Raipur, the 5th October 2004

No. 6014/D-2395/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances, Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this department Notification No. 4494/D-1731/XXI-B/C.G./04, dated 24-7-2004, namely :—

## AMENDMENT

In the said Notification,

In Schedule—For the officer mentioned in column (2) of the the Schedule, the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

| S. No. (1) | Name of the existing Presiding officer (2) | Name of the newly posted Judicial officer (3) | Name of District (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri D. K. Bhatt Special Judge (SC/ST) | Shri B. R. Nikunj Special Judge (SC/ST) | Durg |

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

क्रमांक 6016/डी-2396/21-ब/छ. ग./04.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करती है, अर्थात् :—

## अनुसूची

| अनुक्रमांक (1) | पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (2) | जिले का नाम (3) |
|---|---|---|
| 1. | श्री बी. एल. तिड़के<br>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा | कोरबा |

Raipur, the 5th October 2004

No. 6015/D-2396/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints the following officer as specified in Column (2) in the corresponding entries in Column (3) of the said schedule, namely :—

| S. No. (1) | Name of the posted Officer (2) | Name of District (3) |
|---|---|---|
| 1. | Shri B. L. Tidke<br>Additional Sessions Judge, Korba | Korba |

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

क्रमांक 6016/डी-2396/21-ब/छ. ग./04.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन 1985) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से नीचे दी गई सारणी के कॉलम क्रमांक (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए क्रमश: क्रमांक (1) को दिनांक 1-10-2004 एवं क्रमांक (2) को दिनांक 2-10-2004 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

## अनुसूची

| अनुक्रमांक (1) | विशेष न्यायालय (2) | स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3) |
|---|---|---|
| 1. | विशेष न्यायालय, कोरबा. | कोरबा |
| 2. | विशेष न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा). | कबीरधाम (कवर्धा) |

यह अधिसूचना स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) की धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-6-89-21-ब (एक), दिनांक 2-4-1998 को जहां तक कि सत्र खण्ड बिलासपुर एवं राजनांदगांव के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है को

संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय, कोरबा तथा कबीरधाम (कवर्धा) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में क्रमशः दिनांक 1-10-2004 एवं 2-10-2004 को लंबित है, को क्रमशः विशेष न्यायालय कोरबा एवं कबीरधाम (कवर्धा) को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 5th October 2004

No. 6016/D-2396/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of Chhattisgarh, High Court, hereby constitute special court as specified in the corresponding entries in Column No. (2) of the said schedule from the date of the 1-10-2004 for serial No. 1 and date of the 2-10-2004 for the serial No 2 Judge of the special court assumes the charge of his office in the said court, namely :—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Special Court (2) | Local Area/Sessions Division (3) |
|---|---|---|
| 1. | Special Court, Korba | Korba |
| 2. | Special Court, Kabeer Dham (Kawardha). | Kabeer Dham (Kawardha) |

This notification modifies the Madhya Pradesh Government, Law Department's Notification No. 1-6-89/XXI B(I) dated 2-4-98 so far as it relates to erstwhile Sessions Division Bilaspur and Rajnandgaon for specifying a court of Session under Section 36 of the said Act.

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court Korba and Kabeer Dham (Kawardha) and pending in the Special Court Bilaspur and Rajnandgaon respectively as on 1-10-2004 and 2-10-2004 shall stand transferred to Special Courts constituted at Korba and Kabeer Dham (Kawardha) respectively.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

क्रमांक 6017/डी-2396/21-ब/छ. ग./04.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

| अनुक्रमांक (1) | पदस्थ न्यायिक अधिकारी नाम (2) | जिले का नाम (3) |
|---|---|---|
| 1. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम (कवर्धा). | कबीरधाम (कवर्धा) |

Raipur, the 5th October 2004

No. 6017/D-2396/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (No. 61 of 1985), and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints the following officer as specified in Column (2) in the corresponding entries in Column (3) of the said schedule, namely :—

| S. No. (1) | Name of the posted Officer (2) | Name of District (3) |
|---|---|---|
| 1. | District & Sessions Judge, Kabeer Dham (Kawardha) | Kabeer Dham (Kawardha) |

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

फा. क्र. 6018/डी-2394/21-ब/04.—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कॉलम (1) में दर्शाये जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए दिनांक 2-10-2004 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

| जिला का नाम (1) | विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय का नाम (2) |
|---|---|
| कबीरधाम (कवर्धा) | सत्र न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) |

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 30 जनवरी, 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड राजनांदगांव के गठन से संबंधित है तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड राजनांदगांव के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय कबीरधाम (कवर्धा) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय राजनांदगांव में दिनांक 2-10-2004 को लंबित है, विशेष न्यायालय कबीरधाम (कवर्धा) को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 5th October 2004

F. No. 6018/D-2394/XXI-B/04.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby specifies for District mentioned in Column No. (1) of the Table below, a Court of Session specified in the corresponding entry in Column No. (2) of the said Table

to be the Special Court to try the offences under the said Act with effect from 2nd October, 2004.

TABLE

| Name of the District (1) | Name of the Court of Session to be Special Court (2) |
|---|---|
| Kabeer Dham (Kawardha) | Court of Sessions Judge, Kabeer Dham (Kawardha) |

This Notification modifies the M. P. Government, Law Department Notification No. 1-2/90-XXI-B (1), dated 30th January, 1990 so for as it relates to erstwhile Session Division, Rajnandgaon and M. P. Govt. notification No. 1-2-90-XXI-B (1), dated 26th October, 1995 so far as it relates to erstwhile Session Division, Rajnandgaon for specifying a Court of Session under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989).

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court Kabeer Dham (Kawardha) and pending in the Special Court at Rajnandgaon respectively as on 2-10-2004 shall stand transferred to the Special Court constituted at Kabeer Dham (Kawardha) respectively.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

फा. क्र. 6019/डी-2394/21-ब/04.—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कॉलम (1) में दर्शाये जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम (2) में उसमें संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए दिनांक 1-10 2004 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी.

| जिला का नाम (1) | विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय का नाम (2) |
|---|---|
| कोरबा | सत्र न्यायालय, कोरबा |

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-2-90 इक्कीस बी (1), दिनांक 30 जनवरी, 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर के गठन से संबंधित है तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर के इस अधिनियम के तहत् गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय कोरबा के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बिलासपुर में दिनांक 1-10-2004 को लंबित है, विशेष न्यायालय कोरबा को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 5th October 2004

F. No. 6019/D-2394/XXI-B/04.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby specifies for District mentioned in Column No. (1) of the Table below, a Court of Session specified in the corresponding entry in Column No. (2) of the said Table to be the Special Court to try the offences under the said Act with effect from 1st October, 2004.

TABLE

| Name of the District (1) | Name of the Court of Session to be Special Court (2) |
|---|---|
| Korba | Court of Sessions Judge, Korba |

This Notification modifies the M. P. Government, Law Department Notification No. 1-2/90-XXI-B (1), dated 30th January, 1990 so for as it relates to erstwhile Session Division, Bilaspur and M. P. Govt. notification No. 1-2-90-XXI-B (1), dated 26th October, 1995 so far as it relates to erstwhile Session Division, Bilaspur for specifying a Court of Session under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989).

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court Korba and pending in the Special Court at Bilaspur respectively as on 1-10-2004 shall stand transferred to the Special Court constituted at Korba respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेंद्र राठौर, उप-सचिव.

## गृह (परिवहन) विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 5-8/दो/आठ-परि./2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित मार्गों को मंजिली गाड़ी संचालन के उद्देश्य से विनिश्चत करती है :—

| स. क्र. (1) | मार्ग का नाम (2) | व्हाया (3) |
|---|---|---|
| 1. | कुसमी से जशपुर | आस्ता |
| 2. | अंबिकापुर से पुतुरलोंगग | राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, करौंधा |
| 3. | करैया से अंबिकापुर | खर्रा, करजी |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4. | अंबिकापुर से नवाबांध | करजी, शिवपुर |
| 5. | सीतापुर से मेनपाट | काराबेल |
| 6. | प्रतापगढ़ से पत्थलगांव | गुतुरमा |
| 7. | हट्टापाली से सारंगढ़ | वरदेवगांव, बरमलकेला, मल्दा |
| 8. | अंबिकापुर से छिछली | बतौली, बगीचा, सन्ना |
| 9. | विश्रामपुर से रेहर | सूरजपुर, केनका |
| 10. | बिलासपुर से मंगला | धुमा, सिलपहरी, पिरईया |
| 11. | सीपत से मस्तुरी | जांजी, कोंडिया, कसौंदी, जयरामनगर, खेंग |
| 12. | बिलासपुर से कोटा | मंगला, लोखड़ी, धुटकू, टांडा |
| 13. | अकलतरा से सीपत | पोड़ी, चंगोरी, दर्राभाटा. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वाय. के. एस. ठाकुर,** विशेष सचिव.

## गृह (सामान्य) विभाग
## (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक एफ 9-8/गृह/दो/04.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2004 को प्रश्नपत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्नपत्र भाग "अ", "ब", द्वितीय प्रश्नपत्र, तृतीय प्रश्नपत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

**परीक्षा केन्द्र बिलासपुर**

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) | उत्तीर्ण होने का स्तर (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रोहित यादव | सहायक कलेक्टर | उच्चस्तर |
| 2. | श्री धनपत लाल धृतलहरे | राजस्व निरीक्षक | निम्नस्तर |
| | **परीक्षा केन्द्र बस्तर** | | |
| 3. | श्री भगवान दास द्विवेदी | राजस्व निरीक्षक | निम्नस्तर |
| 4. | श्री भोला प्रसाद गुप्ता | राजस्व निरीक्षक | निम्नस्तर |
| 5. | श्री नेमचंद महोबिया | राजस्व निरीक्षक | निम्नस्तर |

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

**परीक्षा केन्द्र रायपुर**

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) | उत्तीर्ण होने का स्तर (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अधीनराम ध्रुव | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर |
| 2. | श्री होल्कर सिंह ठाकुर | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |
| | **परीक्षा केन्द्र बस्तर ( जगदलपुर )** | | |
| 3. | श्री छनऊराम भूआर्य | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं तृतीय में निम्नस्तर |
| 4. | श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में उच्चस्तर |
| 5. | श्री चितरंजन दास | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर |
| 6. | श्री सुभाष चन्द्र मण्डल | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |
| 7. | सुश्री सतरूपा साहू | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनिन्दर कौर द्विवेदी**, संयुक्त सचिव.

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

क्रमांक डी-5972/3136/25-2/2004/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 33 (अ) पर अंकित काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर तथा [illegible] के आगे कोर्टर शब्द स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**[illegible]. सी. पाण्डेय**, विशेष सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक 960/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | गुण्डरदेही | चिचलगोंदी | 0.12 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर. | चिचलगोंदी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जवाहर श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

---

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | बड़ेआमाबाल | 0.900 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. | कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमाबाल वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | तारागांव | 3.225 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. | कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | चमिया | 0.114 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. | कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन, यंत्री टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | सोनारपाल | 5.889 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. | कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | छोटेआमाबाल | 2.036 | कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. | कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमाबाल वितरक नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दिनेश कुमार श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 जून 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | तिल्दा | सांकरा प. ह. नं. 04 | 0.384 | कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना--डिसनेट -संभाग क्रमांक 3, तिल्दा. | भूमिया वितरक शाखा नहर के अंतर्गत सांकरा माइनर क्रमांक 2 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन. |

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक /1663/वा-1/अ वि अ/भू-अर्जन/08/अ/82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | काण्डेकेला | 2.78 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, गरियाबंद. | कोठरी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल,** कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | पलारी | भरवाडीह प. ह. नं. 17/33 | 0.897 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, रायपुर. | भरवाडीह बिजराडीह मार्ग |

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01 अ/82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | पलारी | सेमरिया प. ह. नं. 33/37 | 7.349 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, रायपुर. | बलौदी ओड़ान दतरेंगी मार्ग |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | तखतपुर | पकरिया | 1.598 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा. | नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्र. 41/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | तेन्दुवा | 0.536 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा. | नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकासशील**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 6 मई 2004

क्रमांक 142/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 17 की उपधारा धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरिया | बैकुण्ठपुर | चोपन | 1.03 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर. | सिंचाई-योजना उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दुर्गेश चन्द्र मिश्रा**, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 6860/क/भू-अर्जन/01/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | कुरूद | नवागांव प. ह. नं. 75/47 | 0.43 | लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर. | राजिम परसतोला मार्ग के, पैरी नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 6844/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | दुल्लापुर प.ह.नं. 9 | 7.64 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | [illegible] बांध डुबान हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7257/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | खैरागढ़ | एटीकसा प.ह.नं. 24 | 4.18 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | [illegible] जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7258/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | खड़खड़ी प.ह.नं. 03 | 96.452 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 725[illegible]/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | डोड़के प.ह.नं. 22 | 22.771 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव. | मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. एस. मिश्रा,** कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/355.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छपोरा | 0.742 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कपाली माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/356.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | सेन्दुरस | 0.218 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नागगांव माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/357.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेसीपत<br>प.ह.नं. 05 | 0.048 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] माइनर [illegible] |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/358.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | लिमतरा | 0.190 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो परि. नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भाठीडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/359.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सोनाडुला | 0.112 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कटगी माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/360.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदी | 0.275 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बरभांठा माइनर, बरपाली माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/361.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा | 0.407 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नालापार साइफन |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/362.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बोकरेल प.ह.नं. 09 | 0.162 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | डूमरभांठा उप वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/363.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेसीपत प. ह. नं. 5 | 0.109 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नगझर माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/364.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | करीपाली प.ह.नं. 09 | 0.145 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बोकरेल माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/365.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सकर्रा | 0.093 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सकर्रा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/366.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | ढिमानी | 0.148 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/367.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छपोरा | 0.128 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | छपोरा सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/368.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | डोंगरीडीह | 0.156 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अमलीडीह सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/369.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भडोरा<br>प. ह. नं. 14 | 0.734 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बड़ेरबेली मा. 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/370.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिहरिद | 0.158 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बड़ेगीपत सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/371.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अड़भार प. ह. नं. 08 | 0.559 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बड़े देवगांव माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/372.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आंडिल | 0.350 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोडिह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/373.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | डोंगरीडीह | 0.443 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अमलीडीह ब्रांच माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/374.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े सीपत | 1.256 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | खेली उप वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/375.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आंडिल<br>प. ह. नं. 7 | 0.132 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोडिह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/377.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | चारपारा | 0.834 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | चारपारा सब माइनर, नगझर माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/378.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अमलीडीह प. ह. नं. 14 | 0.854 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अर्जरितपाली सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/379.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | देवगांव प. ह. नं. 16 | 0.146 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | छपोरा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/380.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिहरिद | 0.639 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भनहा सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/381.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, उसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भडोरा प. ह. नं. 3 | 0.124 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | पिहरिद माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/382.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कलमी | 0.012 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/383.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अमेराडिह<br>प. ह. नं. 04 | 0.137 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अमेराडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/384.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :— .

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदा | 0.036 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नगझर माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/385.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर चांपा | मालखरौदा | खरताल प. ह. नं. 09 | 0.093 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुरदा वितरक नहर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/386.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नौरंगपुर | 0.081 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहरसंभाग, क्र. 4, डभरा. | भारौदिह बांध माइनर 7 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/387.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़ेसीपत<br>प. ह. नं. 04 | 0.695 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कच्चा निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/388.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मालखरौदा प. ह. नं. 5 | 0.429 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | मालखरौदा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/389.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | डोमा प. ह. नं. 03 | 0.117 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा | डोमा सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/390.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, उसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छपोरा<br>प. ह. नं. 13 | 0.180 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/391.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | छोटेसीपत<br>प. ह. नं. 05 | 0.170 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/392.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौंदा | बुन्देली | 0.032 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | हटारी बांध नं. 2 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/393.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौंदा | सतगढ़ प. ह. नं. 03 | 0.169 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | पिरांद माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/394.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े पडरमुड़ा | 0.638 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] माइनर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/395.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | आमनदुला | 0.211 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | [illegible] माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/396.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े पडरमुड़ा | 0.194 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | किरकार माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/397.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बंजारी प. ह. नं. 08 | 0.578 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | लिपगांव माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/398.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अमेराडीह प. ह. नं. 04 | 0.056 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भुवहा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/399.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिहरिद प. ह. नं. 04 | 0.688 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | अमेराडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/400.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बरभांठा प. ह. नं. 16 | 0.462 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बरभांठा सब माइनर, बरभांठा ब्रांच माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/401.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | भुतहा प. ह. नं. 04 | 0.060 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भुतहा ब्रांच सब माईनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/402.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कलमी प. ह. नं. 05 | 0.891 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुल्हा निकास |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/403.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े सीपत | 0.781 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुल्हा सह निकास |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/404.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कलमी<br>प. ह. नं. 05 | 0.113 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सारसडोल माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/417.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुरदी<br>प. ह. नं. 13 | 0.137 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नावापारा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/418.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | पिरदा प. ह. नं. 14 | 1.551 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भातमाहुल माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/437.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | परसाडीह | 1.529 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3. | परसाडीह माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | सिंघनपुर प. ह. नं. 16 | 19.186 | महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | चपले | 0.934 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | सोनबरसा | 0.143 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | दर्रा की पहाड़ी से खरसिया शाखा नहर के निर्माण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | छोटे डूमरपाली | 0.061 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | दर्रा की पहाड़ी से खरसिया शाखा नहर के निर्माण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | गोधा | 0.290 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | दर्रा की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | बगडेवा | 0.109 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | दर्रा की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | सूती | 0.069 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के विस्तार एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | बोतल्दा | 0.515 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के विस्तार एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | परसकोल | 0.061 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | [illegible] की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के विस्तार एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | बड़े डूमरपाली | 0.397 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | [illegible] की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के विस्तार एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एस. विश्वकर्मा,** कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7260/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-चौकी

(ग) नगर/ग्राम-हाथीकन्हार, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.985 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 54 | 0.126 |
| 51/4 | 0.112 |
| 51/5 | 0.095 |
| 51/6 | 0.030 |
| 83/2 | 0.073 |
| 79/1 | 0.130 |
| 52 | 0.122 |
| 46 | 0.245 |
| 47 | 0.407 |
| 48/1 | 0.044 |
| 26/7 | 0.191 |
| 26/8 | 0.256 |
| 26/9 | 0.061 |
| 23 | 0.795 |
| 16/1 | 0.060 |
| 18/1 | 0.339 |
| 17/3 | 0.116 |
| 20/1 | 0.060 |
| 84/1 | 0.088 |
| 76/3 | 0.032 |
| 76/1 | 0.046 |
| 74 | 0.030 |
| 76/2 | 0.113 |
| 83/4 | 0.095 |
| 83/1 | 0.141 |
| 77 | 0.389 |
| 91 | 0.098 |
| 81/1 | 0.042 |
| 78 | 0.316 |
| 79/2 | 0.158 |
| 79/3 | 0.061 |
| 17/2 | 0.763 |
| 59/1 | 0.149 |
| 59/2 | 0.365 |
| 55/1, 55/2 | 0.823 |
| 83/3 | 0.014 |
| योग 36 | 6.985 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बैराज परियोजना की बायीं तट नहर निर्माण के लिए है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7261/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-किलारगोंदी, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.603 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 31 | 0.020 |
| 32 | 0.049 |
| 33 | 0.053 |
| 1/1 | 0.271 |
| 1/2 | 0.101 |
| 34 | 0.004 |
| 1/3 | 0.012 |
| 2/2 | 0.012 |
| 3/1 | 0.081 |
| योग 9 | 0.603 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7262/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी

(ग) नगर/ग्राम-गुण्डरदेही, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.283 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 369/3 | 0.202 |
| 369/5 | 0.152 |
| 369/1 | 0.028 |
| 369/6 | 0.101 |
| 424/1, 407/1 | 0.243 |
| 377 | 0.230 |
| 434/3 | 0.045 |
| 426/1 | 0.061 |
| 425/1 | 0.202 |
| 425/2 | 0.061 |
| 433/2 | 0.117 |
| 431 | 0.097 |
| 433/1 | 0.170 |
| 460/1 | 0.061 |
| 429/2 | 0.304 |
| 429/9 | 0.324 |
| 496 | 0.065 |
| 432 | 0.089 |
| 434/2 | 0.004 |
| 510/1 | 0.186 |
| 510/2 | 0.130 |
| 510/3 | 0.101 |
| 508/2 | 0.008 |
| 508/4 | 0.214 |
| 505/2 | 0.077 |
| 506, 507 | 0.117 |
| 504/5 | 0.077 |
| 504/2 | 0.049 |
| 504/3 | 0.065 |
| 461/1 | 0.048 |
| 461/2 | 0.073 |
| 503/1 | 0.283 |
| 465 | 0.299 |
| 466 | 0.295 |
| 463/3 | 0.255 |
| 468/1 | 0.125 |
| 468/2 | 0.097 |
| 469 | 0.101 |
| 426/2 | 0.089 |
| 470/1 | 0.081 |
| 462 | 0.328 |
| 467 | 0.024 |
| 508/3 | 0.239 |
| 234/2 | 0.065 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 234/4 | 0.178 |
| 234/3 | 1.414 |
| 509/1 | 0.028 |
| 509/2 | 0.158 |
| 464/1 | 0.097 |
| 364/4 | 0.186 |
| 373/5 | 0.240 |
| योग 51 | 8.283 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7263/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सांगली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.211 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 2 | 0.380 |
| 3/2 | 0.049 |
| 3/3 | 0.105 |
| 5 | 0.040 |
| 4 | 0.445 |
| 29 | 0.101 |
| 31 | 0.073 |
| 30/1 | 0.291 |
| 32/1, 2 | 0.251 |
| 33/1, 33/2, 33/3, 33/4 | 0.603 |
| 67 | 0.150 |
| 71 | 0.623 |
| 78/2 | [illegible] |
| 135 | [illegible] |
| 74 | 0.352 |
| 77/4 | 0.415 |
| 117/2 | 0.028 |
| 118 | 0.146 |
| 133/1 | 0.283 |
| 133/2 | 0.178 |
| 133/3 | [illegible] |
| 134 | 0.105 |
| 139 | [illegible] |
| 117/5 | [illegible] |
| 143 | [illegible] |
| योग 25 | 6.211 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7264/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-केकनारटोला, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.012 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 89/4 | 0.069 |
| 89/1 | 0.340 |
| 89/2 | 1.781 |
| 90 | 0.364 |
| 92 | 0.316 |
| 93 | 0.765 |
| 94/1 | 0.174 |
| 94/4 | 0.035 |
| 91 | 0.364 |
| 103/1 | 0.619 |
| 103/2 | 1.214 |
| 106/1 | 0.426 |
| 107 | 0.129 |
| 108 | 0.231 |
| 228/1 | 0.040 |
| 339/1 | 0.024 |
| 228/5 | 0.154 |
| 232/3 | 0.040 |
| 309 | 0.397 |
| 310/1 | 0.008 |
| 310/5 | 0.121 |
| 311 | 0.340 |
| 312 | 0.146 |
| 328/12 | 0.022 |
| 328/4 | 0.450 |
| 328/11 | 0.010 |
| 328/14 | 0.101 |
| 328/13 | 0.101 |
| 330/7 | 0.150 |
| 330/3 | 0.134 |
| 330/15 | 0.802 |
| 330/5 | 0.041 |
| 331 | 0.547 |
| 330/4 | 0.202 |
| 330/10 | 0.020 |
| 330/17 | 0.295 |
| 333/2 | 0.194 |
| 338 | 0.275 |
| 339/2 | 0.045 |
| 339/3 | 0.085 |
| 339/4 | 0.109 |
| 337 | 0.251 |
| 340 | 0.267 |
| 341 | 0.121 |
| 345 | 0.020 |
| 79/1 | 0.202 |
| 330/19 | 0.138 |
| 310/4 | 0.121 |
| 310/6 | 0.073 |
| 310/7 | 0.139 |
| योग 50 | 13.012 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बेराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7265/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम भालडोंगरी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 7.807 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 14/1 | 0.125 |
| 14/3 | 0.073 |
| 14/2 | 0.324 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 14/4 | 0.037 |
| 14/5 | 0.352 |
| 17/2 | 0.085 |
| 17/3 | 0.182 |
| 48/12 | 0.085 |
| 48/13 | 0.182 |
| 48/14 | 0.142 |
| 17/4 | 0.134 |
| 17/5 | 0.190 |
| 48/4 | 0.012 |
| 48/5 | 0.012 |
| 48/9 | 0.595 |
| 17/7 | 0.198 |
| 17/8 | 0.012 |
| 17/14 | 0.186 |
| 46 | 0.061 |
| 55/14 | 0.040 |
| 45 | 0.757 |
| 51/1 | 0.008 |
| 55/8 | 0.251 |
| 55/3 | 0.512 |
| 58/2 | 0.089 |
| 59/4 | 0.138 |
| 59/1 | 0.081 |
| 132/4 | 0.068 |
| 58/5 | 0.089 |
| 59/5 | 0.081 |
| 58/6 | 0.085 |
| 60/1 | 0.096 |
| 60/2 | 0.131 |
| 58/1 | 0.153 |
| 135/1 | 0.234 |
| 133/2 | 0.356 |
| 58/3 | 0.165 |
| 133/1 | 0.081 |
| 135/3 | 0.109 |
| 58/4 | 0.101 |
| 135/8 | 0.212 |
| 60/3 | 0.053 |
| 130/19 | 0.202 |
| 130/20 | 0.121 |
| 130/21 | 0.186 |
| 130/18 | 0.170 |
| 148/1 | 0.053 |
| 148/2 | 0.024 |
| 147/1 | 0.174 |
| योग 49 | 7.807 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

---

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7266/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-गोटाटोला, प. ह. नं. 62/86

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.695 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 11 | 0.534 |
| 17 | 0.107 |
| 18 | 0.176 |
| 24 | 0.372 |
| 19 | 0.050 |
| 25 | 0.102 |
| 26/1 | 0.179 |
| 51/1 | 0.162 |
| 54/2 | 0.236 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 53/4 | 0.102 |
| 26/2 | 0.248 |
| 28 | 0.417 |
| 55 | 0.113 |
| 29 | 0.144 |
| 53/5 | 0.162 |
| 172 | 0.251 |
| 56/1 | 0.445 |
| 175/1 | 0.276 |
| 171 | 0.080 |
| 177/1 | 0.131 |
| 178 | 0.653 |
| 179/1 | 0.180 |
| 180 | 0.168 |
| 54/1 | 0.310 |
| 173 | 0.097 |
| योग 25 | 5.695 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7268/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-कुल्हाड़ी, प. ह. नं. 62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.522 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2/4 | 0.068 |
| 4 | 0.240 |
| 5 | 0.121 |
| 6 | 0.093 |
| योग 4 | 0.522 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7269/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प. ह. नं. 62/86

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.262 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 94/3 | 0.239 |
| 95/1 | 0.765 |
| 96 | 0.219 |
| 166/1 | 0.182 |
| 167/3 | 0.235 |
| 172 | 0.028 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 171 | 0.089 |
| 170/3 | 0.049 |
| 179 | 0.239 |
| 636 | 0.112 |
| 181/1 | 0.575 |
| 488/1 | 0.445 |
| 489/1 | 0.445 |
| 487/1 | 0.012 |
| 699/1 | 0.081 |
| 710/2 | 0.146 |
| 520 | 0.214 |
| 513/1 | 0.012 |
| 515 | 0.368 |
| 511 | 0.206 |
| 514 | 0.053 |
| 621/1 | 0.227 |
| 634/1 | 0.275 |
| 634/2 | 0.299 |
| 635/5 | 0.109 |
| 518/1 | 0.154 |
| 518/2 | 0.081 |
| 513/2 | 0.186 |
| 635/6 | 0.085 |
| 700 | 0.081 |
| 519 | 0.287 |
| 592 | 0.089 |
| 635/3 | 0.085 |
| 698 | 0.255 |
| 699/2 | 0.150 |
| 702 | 0.462 |
| 712 | 0.040 |
| 726/1 | 0.125 |
| 726/2 | 0.101 |
| 726/3 | 0.089 |
| 620 | 0.028 |
| 713/2 | 0.113 |
| 713/3 | 0.142 |
| 521/1 | 0.085 |
| योग 44 | 8.262 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज के बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7270/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम तेलीटोला, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 7.232 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 65/2 | 0.231 |
| 65/3 | 0.162 |
| 65/1 | 0.299 |
| 62/1 | 0.121 |
| 62/2 | 0.049 |
| 60/5 | 0.097 |
| 60/4 | 0.089 |
| 59/2 | 0.101 |
| 59/1 | 0.223 |
| 25 | 0.202 |
| 59/3 | 0.154 |
| 58/1 | 0.486 |
| 56/4 | 0.466 |
| 56/5 | 0.376 |
| 56/6 | 0.243 |
| 52/1 | 0.640 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 51 | 0.271 |
| 34/2, 34/1 | 0.065 |
| 31/1 | 0.243 |
| 31/3 | 0.263 |
| 31/4 | 0.263 |
| 23/6 | 0.214 |
| 23/7 | 0.129 |
| 23/8 | 0.182 |
| 12/1 | 0.534 |
| 13/1 | 0.486 |
| 13/2 | 0.243 |
| 61 | 0.024 |
| 90/1 | 0.008 |
| 94/1-2-3 | 0.012 |
| 31/5 | 0.324 |
| 10/1 | 0.032 |
| योग 32 | 7.232 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7271/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मुंजाल पाथरी, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.383 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 192 | 0.405 |
| 193 | 0.290 |
| 190 | 0.389 |
| 189 | 0.142 |
| 188 | 0.081 |
| 187 | 0.081 |
| 186 | 0.454 |
| 202 | 0.135 |
| 205 | 0.202 |
| 206 | 0.121 |
| 158 | 0.040 |
| 369 | 0.061 |
| 338 | 0.101 |
| 339 | 0.121 |
| 340 | 0.282 |
| 341/1 | 0.707 |
| 341/2 | 0.202 |
| 332/1 | 0.549 |
| 201/1 | 0.020 |
| योग 19 | 4.383 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के बायीं तट नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक [illegible] अक्टूबर 2004

क्रमांक 7272/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरटोला [illegible] प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 4 [illegible] हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 255/1 | 0.040 |
| 256/1 | 0.020 |
| 255/5 | 0.089 |
| 255/3 | 0.040 |
| 256/2 | 0.162 |
| 255/4 | 0.020 |
| 14/1 | 0.242 |
| 255/6 | 0.101 |
| 215/2 | 0.218 |
| 215/1 | 0.282 |
| 217 | 0.020 |
| 220 | 0.334 |
| 223 | 0.149 |
| 222 | 0.093 |
| 224 | 0.154 |
| 225 | 0.181 |
| 226 | 0.020 |
| 28/3 | 0.040 |
| 27/2 | 0.008 |
| 11/2 | 0.089 |
| 26/1 | 0.121 |
| 23/3 | 0.065 |
| 25/1 | 0.294 |
| 25/2 | 0.040 |
| 24 | 0.040 |
| 23 | 0.242 |
| 22/1 | 0.142 |
| 11/1 | 0.016 |
| 27/1 | 0.073 |
| 28/2 | 0.089 |
| 11/3 | 0.016 |
| 12/1 | 0.081 |
| 13 | 0.012 |
| 196 | 0.121 |
| 197 | 0.219 |
| 187 | 0.304 |
| 7/2 | 0.13 |
| 10/2 | 0.165 |
| 9/1 | 0.178 |
| योग 39 | 4.533 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7273/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-सागर, प. ह. नं. 57.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.372 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 497/1 | 0.425 |
| 497/4 | 0.069 |
| 501/1 | 0.101 |
| 497/3 | 0.040 |
| 495 | 0.282 |
| 496 | 0.081 |
| 449/1 | 0.081 |
| 450/2 | 0.186 |
| 471/1 | 0.020 |
| 456/1 | 0.081 |
| 450/3 | 0.145 |
| 450/4 | 0.040 |
| 451 | 0.251 |
| 452/13 | 0.121 |
| 469 | 0.040 |
| 454/5 | 0.219 |
| 454/6 | 0.628 |
| 457 | 0.081 |
| 480 | 0.413 |
| 452/5 | 0.121 |
| 447 | 0.008 |
| 407 | 0.309 |
| 408 | 0.536 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 409 | 0.040 |
| 461/1 | 0.405 |
| 461/2 | 0.081 |
| 470 | 0.053 |
| 478 | 0.321 |
| 461/3 | 0.040 |
| 463 | 0.218 |
| 462 | 0.020 |
| 466 | 0.040 |
| 467 | 0.113 |
| 468 | 0.008 |
| 479 | 0.445 |
| 401 | 0.101 |
| 405 | 0.020 |
| 406 | 0.040 |
| 445 | 0.008 |
| 446/2 | 0.121 |
| 452/1 | 0.020 |
| योग 42 | 6.372 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 7274/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-नरेटीटोला, प. ह. नं. 61

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.042 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 58/1 | 0.202 |
| 58/12 | 0.020 |
| 58/2, 7 | 0.282 |
| 78/1 | 0.552 |
| 78/2 | 0.040 |
| 58/3 | 0.081 |
| 77 | 0.121 |
| 79/1 | 0.065 |
| 79/3 | 0.101 |
| 81 | 0.008 |
| 110 | 0.073 |
| 84/2 | 0.101 |
| 84/5 | 0.057 |
| 84/3 | 0.302 |
| 111 | 0.073 |
| 112/1 | 0.040 |
| 113/2 | 0.020 |
| 151/1 | 0.208 |
| 154/17 | 0.081 |
| 154/18 | 0.137 |
| 151/3 | 0.153 |
| 151/4 | 0.236 |
| 84/4 | 0.101 |
| 152/3 | 0.121 |
| 152/1 | 0.162 |
| 152/7 | 0.081 |
| 152/10 | 0.324 |
| 152/11 | 0.364 |
| 152/2 | 0.121 |
| 154/2 | 0.081 |
| 151/9 | 0.182 |
| 151/8 | 0.202 |
| 151/5 | 0.020 |
| 84/9 | 0.040 |
| 84/1 | 0.121 |
| 152/12 | 0.079 |
| योग 36 | 5.042 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मोंगरा बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. एस. मिश्रा,** कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-ताला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 305/1 | 0.10 |
| 315/1 | 0.01 |
| 315/2 | 0.04 |
| 324/4 | 0.08 |
| योग | 0.23 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--ताला पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 13/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा.

(ग) नगर/ग्राम-कन्हारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | [illegible] |
| 505 | 0.01 |
| 504 | 0.01 |
| 99 | 0.03 |
| 499 | 0.01 |
| 498 | 0.01 |
| 497 | 0.09 |
| 348 | 0.02 |
| 350 | 0.02 |
| 495 | [illegible] |
| 349 | [illegible] |
| 494 | 0.01 |
| 375 | 0.07 |
| 374 | 0.24 |
| 378 | 0.01 |
| 493 | [illegible] |
| 483/1 | 0.03 |
| 379 | 0.03 |
| 380/2 | [illegible] |
| 390/3 | [illegible] |
| 381 | [illegible] |
| 382 | [illegible] |
| 380/1 | [illegible] |
| 389/12 | [illegible] |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 389/9 | 0.06 |
| 390/4 | 0.04 |
| 363/2 | 0.01 |
| 389/8 | 0.04 |
| 389/7 | 0.01 |
| 391 | 0.02 |
| 98 | 0.07 |
| 96 | 0.05 |
| 95 | 0.17 |
| 92 | 0.08 |
| 90 | 0.05 |
| 88 | 0.04 |
| 86 | 0.05 |
| 41/1 | 0.03 |
| योग | 1.39 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करही जलाशय के नहरनाली निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जून 2004

क्रमांक 347/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.36 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 113/1 | 0.13 |
| 179 | 0.62 |
| 215 | 0.50 |
| 113/2 | 0.46 |
| 190 | 0.10 |
| 114 | 0.57 |
| 115 | 0.83 |
| 116 | 0.10 |
| 117 | 0.44 |
| 118 | 0.44 |
| 119 | 0.06 |
| 120 | 0.03 |
| 121 | 0.03 |
| 160 | 0.37 |
| 161 | 0.31 |
| 188 | 0.19 |
| 162 | 0.22 |
| 213 | 0.54 |
| 217/2 | 0.44 |
| 220 | 0.32 |
| 165 | 0.11 |
| 211 | 0.09 |
| 166 | 0.41 |
| 167 | 0.66 |
| 168/1 | 0.22 |
| 168/2 | 0.22 |
| 169 | 0.35 |
| 170 | 0.34 |
| 171 | 0.17 |
| 172 | 0.19 |
| 173/1 | 0.54 |
| 173/2 | 0.46 |
| 174 | 0.53 |
| 175 | 0.44 |
| 176 | 0.81 |
| 177 | 0.25 |
| 178 | 1.29 |
| 219 | 0.25 |
| 163 | 0.22 |
| 212/2 | 0.20 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 164 | 0.12 |
| 182 | 0.25 |
| 195 | 0.27 |
| 183 | 0.20 |
| 184 | 0.51 |
| 187 | 0.22 |
| 185 | 0.32 |
| 217/1 | 0.30 |
| 218 | 0.27 |
| 186 | 0.46 |
| 191 | 0.11 |
| 189 | 0.15 |
| 193 | 0.17 |
| 194 | 0.36 |
| 210 | 0.28 |
| 221 | 0.20 |
| 212/1 | 0.26 |
| 214 | 0.40 |
| 216 | 0.43 |
| 180 | 0.35 |
| 181 | 0.13 |
| 192 | 0.15 |
| योग | 20.36 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -[illegible] जलाशय के डुबान.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जवाहर श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.